मो0 सोहैल,भा.प्र.से., जिलाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक 04.05.2013 को रतनी फरीदपुर प्रखण्ड कार्यालय का किये गये निरीक्षण का दिनांक 06.07.2013 को अनुपालन की समीक्षा की कार्यवाही टिप्पणी :–

पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 04.05.2013 को प्रखण्ड कार्यालय रतनी फरीदपुर का किये गये निरीक्षण के दौरान दिये गये निदेश के अनुपालनों की समीक्षा निम्न प्रकार बिन्दुवार की गई :–

1. उप विकास आयुक्त, जहानाबाद के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग, पटना के द्वारा बेबसाईट पर प्रखण्ड कार्यालयों के संबंध में व्यौरा उपलब्ध कराने के लिए प्रपत्र उपलबध कराया गया है, जिसमें सारी सूचना अंकित कर विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। आई.टी. मैनेजर, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि विभाग के बेबसाईट से इस प्रपत्र को प्रिंट कर सभी प्रखण्डों को उपलब्ध करायें, जिसमें सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय से संबंधित सूचना अंकित कर उप विकास आयुक्त, जहानाबाद के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उप विकास आयुक्त, जहानाबाद सभी प्रखण्डों से प्रपत्र प्राप्त कर विभाग को भेजने की कार्रवाई करेंगे।
(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, जहानाबाद / आई.टी. मैनेजर, जहानाबाद)

2. **सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना** :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा बताया गया कि सुपरवाईजरी मॉडल का कार्य समाप्त हो चुका है तथा इसकी इंट्री नहीं हो पाई है। ऑपरेटरों के हड़ताल के कारण यह कार्य बंद पड़ा है। उप विकास आयुक्त, जहानाबाद इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन : उप विकास आयुक्त, जहानाबाद)

3. **इंदिरा आवास** :– इंदिरा आवास का आवास साफट पर प्रतिवेदन शून्य है। इस संबंध में संतोषजनक जवाब प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा नहीं दिया जा सका। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब आवास साफट पर सभी प्रतिवेदन अंकित कराना सुनिश्चित करें। द्वितीय किस्त के मामलें में भी रतनी फरीदपुर कार्यालय में आवेदन लम्बित हैं, जिसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

4. **ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन** :– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण के लिए सूची अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर से प्राप्त कर 13वीं वित्त की योजना में पारित करना सुनिश्चित करें।
(अनुपालन : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

5. **अग्रिम** :– प्रखण्ड कार्यालय में 3649216.00 रूपया अग्रिम में है तथा इसे अब तक वसूली नहीं की गई है, जबकि निरीक्षण के क्रम में अग्रिम की राशि वसूलने हेतु निदेशित किया गया था। पुनः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अग्रिम की राशि वसूलने हेतु कार्रवाई करें।
(अनुपालन : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

6. **भाउचर** :– प्रखण्ड कार्यालय में 2462502.00 रूपया का भाउचर समायोजन हेतु लम्बित है, जिसे समायोजन करने हेतु निरीक्षण के क्रम में निदेशित किया गया था। असमायोजित भाउचरों को अब तक समायोजित नहीं की गई है। पनुः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब भाउचरों को शीर्षवार अलग करते हुए नियमानुसार समायोजन की कार्रवाई की जाय। यदि आवश्यकता पड़े तो शीर्षवार आवंटन की मांग करें।
(अनुपालन : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर)

7. **कब्रिस्तान घेराबंदी** :– 07 कब्रिस्तान घेराबंदी का निर्माण कार्य अपूर्ण है, इन सभी को निरीक्षण के दौरान पूर्ण कराने का निदेश दिया गया था, जिसे अब तक पूर्ण नहीं कराया गया है। प्रखण्ड विकास